

Unstarred Question No. 9300, referred to in the preamble of this Question, was answered on 29-4-83 and not in April, 1982. The information required is voluminous and has to be collected from the field formations. It will be laid on the Table of the House.

Construction of 5-Star Hotels in Jammu and Kashmir

941. SHRI ABDUL RASHID KABULI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there are any proposals for constructing 5-Star hotels for tourists in Jammu and Kashmir under his Ministry ; and

(b) if so, the details thereof and the amount to be invested during the current year ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN) : (a) and (b) Hotel Corporation of India is constructing a 281 room hotel at Srinagar at an estimated cost of Rs. 20.43 crores. The hotel is expected to be partially commissioned by October/November, 1983.

Trade Agreement between India and Pakistan

942. SHRI AHMED M. PATEL : SHRI A. C. DAS : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether any agreement has been made between Government of India and Pakistan on trade ;

(b) if so, the name of the items to be imported from and exported to Pakistan accordingly to agreement ; and

(c) when this agreement will be effective ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

महालेखाकार, बिहार, रांची में वरिष्ठ लेखा लिपिकों के लिए पदों का आरक्षण

943. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, बिहार रांची के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत नियमानुसार डिवीजनल एकाउंटेंट काडर में दो तिहाई पद राज्य सरकार के निर्माण डिवीजनों के वरिष्ठ लेखा लिपिकों के लिए आरक्षित हैं ?

(ख) अब तक पदोन्नति से भरे गए कुल पदों और राज्य सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे गए पदों में क्या अनुपात है और नियमों के उल्लंघन के लिए कौन उत्तरदायी है ; और

(ग) राज्य सरकार के लिपिकों को नियमानुसार दो तिहाई अनुपात पदोन्नतियां देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कब तक हो जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामा राव) : (क) और (ख) डिविजनल लेखाकारों के संवर्ग में भर्ती "डिविजनल लेखाकारों के लिए प्रारम्भिक भर्ती परीक्षा" नामक प्रतियोगी और अर्हक परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा की जाती है और राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभाग के पात्र लेखा लिपिकों को, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ, इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। डिवीजनल लेखाकारों की भर्ती सम्बन्धी नियमावली में वरिष्ठ लेखा लिपिकों के लिए कोई